

प्रेषक,
निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।
सेवा में,

आवंटन
अनुदान संख्या-83
लेखाशीर्षक-4515007890600-24

1-जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद-देवरिया।

2-जिला पंचायत राज अधिकारी (मु0)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्या: 1 / शा0 / 143 / 2017-1 / 263 / 2017 लखनऊ:

दिनांक 23 मार्च, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय-व्ययक में प्राविधिक धनराशि के सापेक्ष रु0 15.88 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उपसचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-20 / 2018 / 798 / 33-3-2018-100(13) / 2015 दिनांक 21.03.2018 द्वारा अनुदान संख्या-83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिक धनराशि रु0-400.00 लाख के सापेक्ष उक्त सदर्भित शासनादेश दिनांक 21.03.2018 (प्रति सलग्न) में इंगित रु0 15.88 लाख की धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

- 1- पंचायत भवन निर्माण के लिए आवंटित धनराशि रु0-17.46 लाख के सापेक्ष रु0-15.88 लाख अवमुक्त किया जा रहा है। अवशेष धनराशि रु0-1.58 लाख अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से अवमुक्त किया गया है।
- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- 3- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2017-18 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपयोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में 2017-18 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अकरण: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या 21.03.2018 के साथ सलग्न फॉट के कालम संख्या 15 में इंगित धनराशि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा इस धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराकर व्यय किया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता होने पर भी ग्राम पंचायत को धनराशि अवमुक्त किये जाने एवं मानचित्र सक्षम लोकल अर्थोंरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- 5- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 6- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24-बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कार्य" के नामे डाला जायगा।
- 7- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934 / दस-2008-मित-1 / 2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

- 9- प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित/स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित/स्वीकृत हो।
- 10- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-13 पर निदेशालय को वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
- 11- आवंटित की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष के समाप्ति के दृष्टिगत एक मुश्त आहरित की जायेगी।
- 12- प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 13- बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण के निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उनकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जनपद का नोडल अधिकारी प्रति माह निर्माण की प्रगति से शासन/निदेशक पंचायतीराज को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।
- 14- किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यवितरण रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 15- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।
- 16- जनपद स्तर पर जिस ग्राम में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जाना है उसका चिन्हीकरण होने के बाद चिन्हित ग्रामों की सूची निदेशालय को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को अविलम्ब भेजी जाय। प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-171 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(आकाश दीप)

निदेशक,

पंचायती राज, उ0प्र0।

०५

संख्या:-1 / शा0 / 1 / 2017 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल. 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
- 2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 4- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 5- सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (प०), उ0प्र0।
- 8- उप निदेशक (प०), पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 9- एस0पी0एम0य०, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रियस्मै उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018

आवंटन दिनांक-23/03/2018

प्रेषण संख्या:-	1-sha-143-2017-1-263-2017
आवंटन आदेश संख्या:-	002-1-263-2017
अनुदान संख्या:-	83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाधिकारी:-	4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
	06 - बहुउद्दीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1 --01-	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , प्रगामी	वर्तमान प्रगामी	1588000 3334000 1588000 3334000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1588000 3334000

महायोग- (वर्तमान आवंटन)- रुपया पन्द्रह लाख अठासी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन)- रुपया तेंतीस लाख चौंतीस हजार


 (ब्रजेश कुमार)
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी